सिक्किम में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (इंडिया रीजन –III) का 19 वां सम्मेलन समापन समारोह में माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

सीपीए जोन - 3 के 19 वें वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में हमारे बीच में पधारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, सिक्किम के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, राज्य सभा में उप-सभापति श्री हरिवंश सिंह जी, सीपीए जोन – 3 के चेयरमैन श्री पासन्ग डी. सोना जी, सिक्किम विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, लोक सभा में दार्जिलिंग से माननीय सांसद श्री राजू बिष्ट जी, लोक सभा में सिक्किम से माननीय सांसद श्री इन्द्रा हांग सुब्बा जी, राज्य मंत्री मंडल के सदस्यगण, राज्य विधान मंडल के माननीय अध्यक्षगण और उपाध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेता श्री डी. आर. थापा जी और सभी विधान मंडलों के माननीय विधायकगण, भाइयो और बहनों। आज हम सीपीए जोन – 3 के इस समापन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि दो दिन विभिन्न मुद्दों पर, विषयों पर व्यापक चर्चा हुई और संवाद हुआ। आपस में अपने अनुभव साझा किए और एक मत से राजनीति से ऊपर उठकर सभी माननीय वक्ताओं ने इन तीनों विषयों पर एक सार्थक चर्चा के साथ एक व्यापक निर्णय, निष्कर्ष की बात कही ताकि सिक्किम के सम्मेलन का निष्कर्ष देश के सभी राज्यों में दिशा निर्देश की तरह जाए। चर्चा, संवाद के जो निर्णय निष्कर्ष हो, उसके अनुसरण पर एक चर्चा-संवाद के बाद हम अंतिम निर्णय पर पहुंचें।

मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपना जीवन दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए न्याय दिलाना और उनके साथ चर्चा-संवाद करते हुए उनके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए दिया है। दूर-दराज के गांवों के अंदर किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए इसके लिए राज्यपाल बनने के तुरंत बाद उन्होंने सिक्किम का दौरा करना शुरू किया है। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, यहां की जैव विविधता का सभी को पता चलेगा। दुनिया में पहला राज्य होगा, जिसने जैविक खेती के रूप में, प्राकृतिक खेती के रूप में उपलब्धि प्राप्त की है। कंचनजंघा जैसे हिमालय के बड़े पहाड़ हैं, जिसके संरक्षण में नदी, नाले, झरने हैं। महामहिम

कह रहे थे कि यहां हर क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है चाहे आयुर्वेद हो, चाहे हस्तकला हो, चाहे खेती के बाद उसकी प्रोसेसिंग यूनिट का सवाल हो और विशेष रूप से यहां की युवा शक्ति और सामर्थ्य, जो आने वाले समय में इस राज्य के लिए नई दिशा तय करेगा। पूर्वोत्तर राज्य हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और विशेष रूप से देश के लिए जिस तरीके की यहां की प्राकृतिक संरचना है, उसके अंदर किस तरह से यहां के राज्यों ने विकास की नई गाथा लिखी, यह बहुत उल्लेखनीय है।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य लगातार प्रगतिशील, खुशहाली, समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि जिस तरह का यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल या एयर कनेक्टिविटी का हो और यहां की प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग, यहां की संस्कृति और संस्कारों में रहते हुए आने वाले समय में एक विकास और आर्थिक सामाजिक बदलाव के नए आयाम स्थापित करेंगे। जैसा हरिवंश जी ने कहा कि दो दिनों तक विभिन्न विषयों पर यहां चर्चा और संवाद हुआ और जिन मुद्दों पर हमने चर्चा और संवाद किया, ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता के विषय हैं। यदि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कुछ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए संकल्प की ओर बढ़ना होगा। हमारी युवा पीढ़ी को बचाना होगा। उसके सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी रिसर्च और इनोवेशन की क्षमता का उपयोग करना होगा और इसलिए मादक पदार्थों के सेवन पर जो हमारी देश की ही चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता है।

हमने जी-20 में कहा है - वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी, एक भविष्य। इसीलिए इसकी सार्थक चर्चा भारत के लोकतंत्र की जननी के इन विधान मंडलों में की जा रही है। देश की संसद में चर्चा हुई और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि देश के सभी राज्यों ने मिलकर जो कार्य योजना बनाई है, आने वाले समय के अंदर चाहे हमारे बार्डर देशों से मादक पदार्थ आ रहे हों, उसको रोकने के लिए कारगर उपाय किए हैं। हमारा संकल्प है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे और बार्डर देशों से मादक पदार्थ आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए और कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून बनाएंगे। सभी राज्य और केंद्र मिलकर एक ठोस कार्य योजना के माध्यम से कार्य करेंगे लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी विधान मंडलों और जनप्रतिनिधियों की है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन खड़ा करें। समाज के हर व्यक्ति, नौजवान को सकारात्मक दिशा देने के लिए अभियान चलाएं और अपने-अपने राज्यों में जो लोकतांत्रिक संस्था है

चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, उस स्तर तक जनप्रतिनिधि जनता से मिलकर इसके लिए सकारात्मक और सार्थक परिणाम निकालें। इसके लिए जो कुछ भी चर्चा संवाद हुआ, उसके जो निष्कर्ष निकले, उसके माध्यम से हम सभी पीठासीन अधिकारी अपने-अपने राज्य में नशा मुक्त भारत के लिए एक व्यापक अभियान चलाएंगे और हमारा संकल्प होगा कि बहुत जल्दी हम भारत को नशा मुक्त कर पाएं।

दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय यह था कि देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति हो और हमारे नौजवानों की मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारत की जननी है, में सक्रिय भागीदारी हो। हमारी विरासत, हमारे इतिहास को वे समझें। हमारी आजादी का आंदोलन करने वाले नेताओं के जीवन के बारे में वे जानें। किस तरीके से हमारी विरासत रही है, लोकतांत्रिक संस्कृति रही है, किस तरीके से हमारे मनीषियों का योगदान इस देश के प्रति रहा है, उसके लिए भारत की संसद ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में उन सभी मनीषियों, जिनका भारत की आजादी से पहले, आजादी पाने में तथा आजादी के बाद देश निर्माण में योगदान रहा, उनके जीवन के बारे में जानना, उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानना और किस समर्पण सेवा से उन्होंने त्याग और बलिदान से भारत की आजादी की कहानी लिखी और आजादी के बाद देश के निर्माण की कहानी लिखी, इस हेतु देश के अलग-अलग राज्यों को बुलाकर केंद्रीय कक्ष में उन महान नेताओं के जीवन, उनके किए गए कार्यों पर हमारे देश के नौजवान चर्चा करते हैं। चाहे सिक्किम का नौजवान हो, अरुणाचल प्रदेश का नौजवान हो, चाहे मिजोरम का नौजवान हो, चाहे नागालैंड का नौजवान हो, चाहे गुवाहाटी का नौजवान हो, चाहे त्रिपुरा का नौजवान हो, यहां तक कि दूरदराज के नौजवान भी देश की विरासत और संस्कृति को जानें, इसके लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया है।

हमें राज्यों की विधान सभाओं में इसी तरीके के कार्यक्रम को चलाना चाहिए और योजनाएं बनानी चाहिए। गुजरात में जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि देश के नौजवान 'Know Your Constitution' यानी संविधान को जानें। जब भारत का नौजवान संविधान को जानेगा तभी यह समझेगा कि किस तरीके से हमारे संविधान निर्माता मनीषियों – बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबा अम्बेडकर आदि ने एक लंबी चर्चा और संवाद के बाद संविधान बनाया। संविधान में हमारे अधिकार हैं, तो कर्तव्य भी हैं। अब आजादी के 75 सालों बाद हमें इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए कि हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है? यह भाव नौजवानों के मन में

पैदा हो। जब वे संविधान को जानेंगे, तो यह भाव भी पैदा होगा। इसीलिए राजनीति और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें लगातार संवाद और चर्चा करते रहनी होगी।

हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वन प्लेटफार्म पर वन लेजिस्लेटिव लाने का पूरे देश की विधायी संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास किया है। डिजिटल संसद के अंदर सभी राज्य विधान मंडलों की कार्यवाही, पूरी डिबेट, चर्चा, आजादी के पहले और बाद की भारतीय संसद की चर्चा और डिबेट, कानून बनाते समय चर्चा को एक प्लेटफार्म पर लाने का हमने काम शुरू किया है, ताकि हमारा नौजवान एक प्लेटफार्म पर यह देख सके कि आजादी के पहले और आजादी के बाद किस तरह से भारत में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन करने में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका रही है।

तीसरा विषय साइबर बुलिंग का है, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। विशेष रूप से नौजवानों के लिए साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम चिंता का विषय हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसानों की भी चिंता करनी होगी। टेक्नोलॉजी का सही और सकारात्म्क दिशा में उपयोग हो, देश के विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, नए इनोवेशन के लिए उपयोग हो। साइबर क्राइम के साथ जो ऑनलाइन बुलिंग है, उसे रोकने के लिए भी हमें नौजवानों को जागृत करना होगा। इन सारे विषयों के साथ-साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि पूर्वी राज्यों के अंदर विधान मंडलों में चर्चा और संवाद बिना गतिरोध के होता है। कई विधान सभाओं में तो कभी गतिरोध ही नहीं हुआ। सभी दल, चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, उनमें सहमति व असहमति होना हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन गतिरोध भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अब हम 21 वीं शताब्दी के अंदर हैं। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्राचीनतम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उसे भी हमें समझना होगा कि उसमें भी सहमति और असहमति थी तथा विचारों में भिन्नता थी और मतांतर था। नीतियां बनाने में अपने-अपने विचार हो सकते हैं, कानून बनाते समय अपने-अपने सकारात्मक सुझाव हो सकते हैं, लेकिन चाहे नगर पालिकाएं हों, पंचायती राज हों या जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, अब समय आ गया है कि ये सकारात्मक चर्चा और संवाद का केंद्र बनें और इनके माध्यम से हम समाज में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाएं। यह समय हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। मुझे आशा है कि हम इसमें सफल होंगे। हम

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लगातार इसकी चर्चा करते रहते हैं। सभी पीठासीन अधिकारी इसके लिए एकमत हैं।

पूर्व में भी मैंने कहा था कि चाहे महामहिम राज्यपाल हों, या राष्ट्रपति जी, उनके अभिभाषण के समय गतिरोध होना लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परम्परा नहीं है। हमें अच्छी परम्परा और परिपाटियों को कायम करना चाहिए। इन सदनों का उपयोग देश के विकास और सकारात्मक रूप से चर्चा और संवाद के लिए होना चाहिए।

मुझे आशा है कि इस दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उन मुद्दों को हम आगे लेकर चलेंगे और सभी राज्य विधान मंडल तथा राज्यों की लोकतांत्रिक संस्थाएं इन विषयों को लेकर आगे चलेंगी तथा एक सकारात्मक परिवर्तन हम देश में लाएंगे। विकसित भारत बनाने का सपना हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से पूरा होगा। जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे अपने आचरण-व्यवहार, कार्यशैली से ही भारत के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत कर पाएंगे। इसके लिए हमें सही दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं स्पीकर, श्री अरुण कुमार उप्रेती जी को धन्यवाद देता हूं, राज्य के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां पर इसका आयोजन किया और हमें जिस तरीके का आतिथ्य मिला और एक अच्छे वातावरण में यह सम्मेलन हुआ, इसके लिए यहां की सरकार को, विधान मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, पूरी टीम को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। सिक्किम के राज्यपाल, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का पहली बार इस विधान सभा में आना हुआ, इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनन्दन करता हूं।